कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, P.W.D., NARENDRA NAGAR

Phone & Fax 01378-227229

E-mail.-eepwdnarendranagar@ymail.com

पत्रांक 718 /G.M.U

दिनांक 20 / 04 / 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग,
मुनिकीरेती।

विषयः– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/155324/2022)

सन्दर्भः– भारत सरकार के पत्रांक– 08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 22 / 2023 / FC / 1055, दिनांक 16.11.2023 एवं आपका पत्रांक 1566 / 12–1, दिनांक 18.12.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। जिसके क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के पत्रांक 1086 / 12–1, दिनांक 02.12.2023 से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में निम्नलिखित अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

शर्त संख्या–1 :–

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1	यदि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन है तो उसका अधिसूचना (Notification) भी अनुपालन आख्या के साथ संलग्न किया जाये।	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के आदेश संख्या 73 / XXVI-92(2023-24), दिनांक 08.01.2024 के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल वनभूमि 6.015 हे0 का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किया गया है। आदेश की प्रति संलग्न है।
2	उपरोक्त के अतिरिक्त इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाना भी अपेक्षित है कि प्रस्ताव में स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेखण में मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है।	शर्तानुसार प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
3	यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावक विभाग को working Permission दे दी गयी है तो उसकी प्रति भी उपलब्ध करायें।	तद्दिनांक तक कार्य स्थल पर कोई कार्य नहीं किया गया है और न ही वनविभाग द्वारा कार्य किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।
4	प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 1269 / PO दिनांक 10.06.2022 द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित बिन्दु सं0 01 के अनुपालन में यह सुनिश्चित करें कि ये क्षेत्र जब सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किये जाते हैं तो उस आदेश में यह स्पष्ट इंगित हो कि प्रश्नगत शिविल क्षेत्र का रकवा कितना है तथा उसमें से कितना क्षेत्र वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किया जा रहा है, एवं यह क्षेत्र पूर्व में किसी अन्य योजना में अथवा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया हैं। इसके अतिरिक्त से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा जारी प्रश्नगत प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित निम्नलिखित शर्तो की डिमांड अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के आदेश संख्या 73 / XXVI-92(2023-24), दिनांक 08.01.2024 के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल वनभूमि 6.015 हे0 का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किया गया है। यह भूमि पूर्व में अन्य किसी परियोजना हेतु प्रस्तावित नहीं की गयी है।
5	शर्त संख्या –01 – के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कराना होगा कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	शर्तानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	शर्त संख्या –02 – के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि परियोजना के लिय आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	शर्तानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती
01/5/24

नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

	संख्या –03 क – के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.510 हे0 ग्राम दउली की सिविल सोयम भूमि (खसरा संख्या 1667,1861) में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु मु0–2921629.00 धनराशि जमा करनी होगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिये। तत्सम्बन्धी प्रमाण –पत्र सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी , द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा। क्षतिपूरक, वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि– 3.255 X 2 =6.510 हे0 क्षतिपूरक, वृक्षारोपण की दर प्रति हे0– 4,48,791.00 प्रति हे0 क्षतिपूरक, वृक्षारोपण हेतु धनराशि– 6.510 X 448791.00 + 2921629.00 रू0 मात्र।	शर्तानुसार प्रमाण पत्र एवं जमा की गयी धनराशि की ई चालान छायाप्रति तथा ऑन लाईन पोर्टल पर प्रदर्शित जमा धनराशि का छाया चित्र संलग्न है।
8	शर्त संख्या –03 ख – के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा तथा भूमि के हस्तान्तरण , नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0सी0ए0, 1980 की गाईडलाईन के पैरा–2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु उक्त प्रस्ताव में प्रस्तावित किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण / नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित करावाया जायेगा तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के आदेश संख्या 73 / XXVI-92(2023-24), दिनांक 08.01.2024 की छायाप्रति एवं शर्तानुसार प्रमाण पत्र संलग्न हैं।
9	शर्त संख्या–3(ग) के अनुपालन प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाइल, सी0ए0 क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेन्ट एरिया,ट्रीटमेन्ट क्षेत्र और डब्लू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई– ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से किया जाना है।
10	शर्त संख्या–04 के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वनविभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण दस वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना के भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जा सकते हैं। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।	शर्तानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।
11	शर्त संख्या–05 (क) के अनुपालन में एन0पी0वी0 के रूप में प्रयुक्ता ऐजेन्सी द्वारा 3.255 हे0 हेतु / 10,05,210.00 प्रति हे0 की दर से मु0 3,271,959.00 की धनराशि जमा करनी होगी। एन0पी0वी0 की मांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:– एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन ''प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या –F.No. 5-3/2011.एफ0सी0 Vol-1(i) दिनांक 06.01.2022 में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आवंटित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 के देयता निम्नानुसार है'':– ईको–क्लास श्रेणी– V हरियाली का घनत्व– 0.30 OF एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0 मु0 10,05,210.00 आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल 3.255 हे0 कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि 3.255 हे0 X 10,05,210.00 = 3,271,959.00	शर्तानुसार प्रमाण पत्र एवं जमा की गयी धनराशि की ई चालान छायाप्रति तथा ऑन लाईन पोर्टल पर प्रदर्शित जमा धनराशि का छाया चित्र संलग्न है।
12	शर्त संख्या–05 (ख) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	शर्तानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।
13	शर्त संख्या–06– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाली वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 201 वृक्षों एवं 54 चसपदह से अधिक नहीं होगी का कटान / पातन किया जायेगा एवं पेड़ राज्य वन निगम के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	शर्तानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।
14	शर्त संख्या–07– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गाईड लाईन्स में दिये गये दिशा निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति भारत सरकार को प्रेषित की जायेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा	शर्तानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।

	संख्या–08– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण अन्य धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में हस्तान्तरित/जमा की जाने वाली धनराशि केवल ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in/) के माध्यम से ही मान्य होगी।	शर्तानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।
16	शर्त संख्या–09– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।	शर्तानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।
17	शर्त संख्या–10– के अनुपालन में नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिये और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature Paltation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिये। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।	कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से की जानी है।
18	शर्त संख्या–11– के अनुपालन में वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।	कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से की जानी है।
19	शर्त संख्या–12– के अनुपालन में नोडल अधिकारी State CAMPA यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।	कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से की जानी है।
20	शर्त संख्या–13– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र किया जाना होगा कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोग कर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करना होगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।	शर्तानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।
21	शर्त संख्या–14– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।	शर्तानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।
22	शर्त संख्या–15– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।	शर्तानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।
23	शर्त संख्या–16– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा। जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।	शर्तानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।
24	शर्त संख्या–17– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि का चार फीट उचें आर0सी0सी0 पिल्लर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Bearing अंकित किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।	शर्तानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।
25	शर्त संख्या–18– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कार्य के निस्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।	शर्तानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।
26	शर्त संख्या–19– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	शर्तानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।
27	शर्त संख्या–20– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कराना होगा कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	शर्तानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।
28	शर्त संख्या–21– के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम –1990 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिशा निर्देश फाईल सं0–11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।	शर्तानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।
29	शर्त संख्या–22– के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।	शर्तानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।
30	शर्त संख्या–23– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व निर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण किया जायेगा कि व अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे तथा वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लगात पर उपयुक्त प्रजाति के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र की स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलबे को यथास्थान् रखने हेतु दिवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को वन विभाग को सौपने रो पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजना अनुसार समयवद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।	शर्तानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।

संख्या–24– के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित नियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।	शर्तानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।
शर्त संख्या–25– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिर्पोट ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in/) पर भी अपलोड की जानी होगी।	ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर दी गयी है।

30/4/24

(इं0 विजय कुमार मोघा)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर

त्रांक 718/GM-4 तद्दिनांक।

तिलिपिः–

1. सहायक अभियन्ता, नि0ख0, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

30/4/24

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित की गयी वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्र संख्या 08बी0/यू0सी0पी0/06/22/2023/FC/1055, दिनांक 16.11.2023 द्वारा प्राप्त हुयी है प्राप्त स्वीकृति के अनुपालन में सिविल सोयम भूमि जो कि खसरा नं0 1667 एवं 1681 में क्रमशः 3 हे0 एवं 3.51 हे0 इस प्रकार कुल 6.51 हे0 भूमि वन विभाग को जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के आदेश संख्या 73/XXVI-92(2023-24) दिनांक 08.01.2024 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य हेतु हस्तगत किया जाता है।

हस्तान्तरण करने वाले अधिकारी/कर्मचारी

विनोद रावत
राजस्व उपनिरीक्षक,
दिउली

तहसीलदार
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

हस्तगत लेने वाले अधिकारी/कर्मचारी

यशवन्त सिंह चौहान
वन दरोगा,
अनुभाग–कसमौली,
रेंज–नरेन्द्रनगर, टि0ग0

विवेक कुमार जोशी
वनक्षेत्राधिकारी, नरेन्द्रनगर

हस्ताक्षर प्रस्तावक विभाग/कार्यदायी संस्था

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

देवली- उपरान्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि के अधीन रेखित क्षेत्र ग्राम देवली वही धनसारी जनपद टिहरी गढ़वाल तहसील नरेन्द्रनगर

पैमाना 64" = 1 मील

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
नरेन्द्र नगर

JE

यशवन्त सिंह
अनुभाग अधिकारी
रेन्ज... नरेन्द्रनगर

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
नरेन्द्र नगर

4, 5:50 PM

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आंध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 18-03-2024

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF/Application No.	61155324962
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/22/2023/FC
Address.	E E C D P W D Narendranagar Tehri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	 eepwdnarendranagar@ymail.com 7895715175 1378-227229
Amount(in Rs)	6193588/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words: Sixty-One Lakh Ninety-Three Thousand Five Hundred and Eighty-Eight Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

Transaction E.D.D S 80470656 Dated 08/04/2024.

After making successful payment, User Agencies may

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक संख्या– 1566 / 12–1 दिनांक 18 / 12 / 2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
नरेन्द्रनगर।

विषय :– **जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिऊली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.500 किमी० हेतु 3.255 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन । (FP/UK/ROAD/155324/2022)**

सन्दर्भ :– भारत सरकार का पत्रांक–08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 22 / 2023 / एफ०सी० / 1055, दिनांक 16–11–2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है, जिसके क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, द्वारा उनके पत्रांक–1086/12-1 दिनांक–02.12.2023 से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित कर निम्नानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है :–

शर्त संख्या–01 यदि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन है तो उसका अधिसूचना (Notification) भी अनुपालन आख्या के साथ संलग्न किया जाये।

शर्त संख्या–02 उपरोक्त के अतिरिक्त इस आशय का प्रमाण पत्र ,भी उपलब्ध कराया जाना भी अपेक्षित है कि प्रस्ताव में स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेखण में मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है।

शर्त संख्या–03 यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावक विभाग को Working permission दे दी गयी है तो उसकी प्रति भी उपलब्ध करायें।

शर्त संख्या–04 प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक–1269 / P.O दिनांक 10.06.2022 द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित बिन्दु सं0–01 के अनुपालन में यह सुनिश्चित करें कि ये क्षेत्र जब सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किये जाते हैं तो उस आदेश में यह स्पष्ट इंगित हो कि प्रश्नगत सिविल क्षेत्र का रकवा कितना है तथा उसमें से कितना क्षेत्र वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किया जा रहा है एवं यह क्षेत्र पूर्व में किसी अन्य योजना में अथवा वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है।

इसके अतिरिक्त से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा जारी प्रश्नगत प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित निम्नलिखित शर्तों की डिमांड अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

1– **शर्त संख्या–01** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी।

2– **शर्त संख्या–02** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि सौंपी जायेगी।

3– **शर्त संख्या–3.(क)** के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.510 हे0 ग्राम–दिऊली की सिविल सोयम भूमि (खसरा संख्या–1667,1861) में **प्रतिपूरक वनीकरण हेतु रु0–29,21,629.00 धनराशि जमा करनी होगी।** जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिये। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी, द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा।

वसूली वर्ष 2023–24 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु धनराशि का विवरण :–

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि –	3.255 X 2 = 6.510 हे0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे0–	4,48,791.00 प्रति हे0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि–	6.510 X 4,48,791.00 =29,21,629.00 रू. मात्र

4– शर्त संख्या–3.(ख) के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा तथा भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0सी0ए0, 1980 की गाईडलाईन के पैरा–2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु उक्त प्रस्ताव में प्रस्तावित किये गये है, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करवाया जायेगा तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

5– शर्त संख्या–3.(ग) के अनुपालन प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाइल, सी0ए0 क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेन्ट एरिया, ट्रीटमेन्ट क्षेत्र और डब्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

6– शर्त संख्या–04 के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना के भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

7– शर्त संख्या–05(क) के अनुपालन में एन0पी0वी0 के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 3.255 हे0 हेतु @ 10,05,210.00 प्रति हे0 की दर से रु0 3,271,959.00 की धनराशि जमा करनी होगी। एन0पी0वी0 की मांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

"प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या–F.No. 5–3/2011–एफ0सी0 Vol-1(i) दिनांक 06–01–2022 मे उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आवंटित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है" :–

ईको–क्लास श्रेणी–	V
हरियाली का घनत्व–	0.30 OF
एन0पी0वी की दर प्रति हे0–	रु0 10,05,210.00 **(दस लाख पांच हजार दो सौ दस रूपये मात्र)**
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल–	3.255 हे0
कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि–	3.255 हे0 X 10,05,210.00 = **3,271,959.00**

8– शर्त संख्या– 05 (ख) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

9– शर्त संख्या–06 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाली वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 201 वृक्षों एवं 54 sapling से अधिक नही होगी का कटान/पातन किया जायेगा एवं पेड़ राज्य वन विभाग के साख पर्यवेक्षण में कटेंगे। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

10– शर्त संख्या–07 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गाईडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति भारत सरकार को प्रेषित की जायेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जायेगी। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

11– शर्त संख्या–08 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में हस्तान्तरित/जमा की जाने वाली धनराशि केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से ही मान्य होगी।

12– शर्त संख्या–09 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

13– शर्त संख्या–10 के अनुपालन में नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature Plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

14– शर्त संख्या–11 के अनुपालन में वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेंगे। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

15– शर्त संख्या–12 के अनुपालन मे नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

16– शर्त संख्या–13 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करना होगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

17– शर्त संख्या–14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

18– शर्त संख्या–15 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

19– बिन्दु संख्या–16 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा। जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

20– शर्त संख्या–17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिल्लर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

21– शर्त संख्या–18 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

22– बिन्दु संख्या–19 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

23– शर्त संख्या–20 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।

24– शर्त संख्या–21 के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिशा निर्देश फाईल सं0– 11–42/2017– FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

25– शर्त संख्या–22 के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एंव वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

26. शर्त संख्या–23 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व निर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण किया जायेगा कि व अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे तथा वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लगात पर उपयुक्त प्रजाति के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलबे को यथास्थान रखने हेतु दिवारे बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजना अनुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

27– शर्त संख्या–24 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

28– शर्त संख्या–25 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर भी अपलोड की जानी होगी।

संलग्न– सैद्धांतिक स्वीकृति की प्रति।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः– 1566 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि :– वन क्षेत्राधिकारी, शिवपुरी राजि को उपरोक्तानुसार पत्र की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही कि वन विभाग से सम्बन्धित समस्त बिन्दुओं की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता अभिकरण को उपलब्ध कराते हुए एक प्रति इस कार्यालय को उप प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

::आदेश::

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़ देहरादून के पत्र संख्या:–8बी/यू0सी0पी0/06/22/2023/एफ0सी0/1055 दिनांक: 16.11.2023 की शर्त संख्या.03(क) के अनुपालन में विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में राज्य योजना अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटर मार्ग लम्बाई 4.500 कि0मी0 हेतु 3.255 है0 वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यों के दृष्टिगत प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 6.510हे0 हे0सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर के पत्रांक 168/आर.ए–2023 दिनांक: 28.12.2023 के द्वारा तहसील नरेन्द्रनगर के ग्राम दिउली पट्टी धमान्दस्यूं की भूमि प्रस्तावित की गयी है,जिसका विवरण निम्नवत है:–

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा सं0	अर्जित रक्वा (हे0)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
दिउली	धमान्दस्यूं	08	1667म0 1861म0	3.00हे0 3.51हे0	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड़
योग :				6.510हे0	

प्रस्तावित दिउली–गुजराड़ा मोटर मार्ग के निमार्ण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या:2882/XXIII(II)/11–18(120)/2010 दिनांक: 11नवम्बर 2011 पर शासनादेश संख्या: 2365/XXIII(II)/13–18 (120)/2010 टी0सी0 दिनांक: 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगनी सिविल भूमि वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्या:2173/XXIII(II)/2012–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक:17 दिसम्बर 2012 के क्रम मे उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर के द्वारा प्रस्तावित की गयी उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये कुल रक्वा–6.510 हे0 सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड

JA-ALC20XI(1)/3/2024-E-Tehri

1757/2024

शासन के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाती है, तहसीलदार टिहरी तत्काल उक्त भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

Signed by Mayur Dixit
Date: 08-01-2024 16:32:02

(मयूर दीक्षित)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या: 73 / XXVI-12 (2013-2014) दिनांक नई टिहरी 9 जनवरी , 2024

प्रतिलिपि:–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1:–सचिव वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2:–सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3:–आयुक्त एवं सचिव,राजस्व परिषद देहरादून।
4:–आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5:–नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
6:–प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती।
7:–अधिशासी अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर।
8:–उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर।
9:–तहसीलदार नरेन्द्रनगर।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

no.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)				Payment Status	Payment Detail		Demand Letter
	FP/UK/ROAD/155324/2022 Construction of Diuli Gijrada Motor Road under State Sector in Vidhansabha Narengra Nagar of District Tehri Garhwal	ROAD1553242022962	61155324962	16 Nov 2023	CA: PCA: Safety Zone: NPV: N.A : N.A : N.A : Total :	2921629/- , 0/- , 0/- , 3271959/- , 0/- 0/- 0/- 6193588/-	Addl CA : CAT : Addl PA : N.A :	0/- 0/- 0/- 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	: 18 Mar 2024 : Union Bank Of India : Union Bank Of India (Challan) : 10 Apr 2024 : 08 Apr 2024	Demand Letter
	FP/UK/ROAD/48741/2020 Construction of Sansman-Kaudivala motor road to connect it NH-58 in District Tehri Garhwal	ROAD487412020643	61487741643	13 Jul 2021	CA: PCA: Safety Zone: NPV: Other Charges1 : Other Charges2 : Other Charges3 : Total :	908710/- , 0/- , 0/- , 1035125/- , 0/- 0/- 0/- 1943835/-	Addl CA : CAT : Addl PA : Other Charges :	0/- 0/- 0/- 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	: 30 Oct 2021 : Union Bank Of India : Union Bank Of India (Challan) : 01 Nov 2021 : 08 Dec 2021	Demand Letter
	FP/UK/ROAD/61512/2015 Construction of Fakot-Semlikatal-Chameband-Hadisera motor road	ROAD61512015575	6191510575	09 Oct 2020	CA: PCA: Safety Zone: NPV: Other Charges1 : Other Charges2 : Other Charges3 : Total :	2855948/- , 0/- , 0/- , 2782395/- , 0/- 0/- 0/- 5638343/-	Addl CA : CAT : Addl PA : Other Charges :	0/- 0/- 0/- 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	: 10 Mar 2021 : Corporation Bank : Corporation Bank (Challan) : 15 Mar 2021 : 30 Mar 2021	Demand Letter Generated Challan
	FP/UK/ROAD/17417/2016 Kaudiyala to Gangalsi Motor Road	ROAD174172016037	6117417037	19 Nov 2018	CA: PCA: Safety Zone: NPV: Other Charges1 : Other Charges2 : Other Charges3 : Total :	1123850/- , 0/- , 0/- , 741250/- , 0/- 0/- 0/- 1865100/-	Addl CA : CAT : Addl PA : Other Charges :	0/- 0/- 0/- 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	: 28 Mar 2019 : Corporation Bank : Corporation Bank (Challan) : 29 Mar 2019 : 06 Apr 2019	Demand Letter Generated Challan
	FP/UK/ROAD/17428/2016 Construction of Timli to Khaneti Motor Road	ROAD174282016046	6117428046	25 Oct 2018	CA: PCA: Safety Zone: NPV: Other Charges1 : Other Charges2 : Other Charges3 : Total :	2574865/- , 0/- , 0/- , 3903900/- , 0/- 0/- 0/- 6478765/-	Addl CA : CAT : Addl PA : Other Charges :	0/- 0/- 0/- 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	: 27 Feb 2019 : Corporation Bank : Corporation Bank (Challan) : 01 Mar 2019 : 12 Mar 2019	Demand Letter Generated Challan
	FP/UK/ROAD/25189/2017 Construction of Amsari to Hadisera Motor Road under State Sector.	ROAD251892017623	6125189623	29 May 2018	CA: PCA: Safety Zone: NPV: Other Charges1 : Other Charges2 : Other Charges3 :	721742/- , 0/- , 0/- , 1094275/- , 0/- 0/- 0/-	Addl CA : CAT : Addl PA : Other Charges :	0/- 0/- 0/- 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	: 09 Sep 2018 : Corporation Bank : Corporation Bank (Challan) : 25 Sep 2018 : 03 Oct 2018	Demand Letter Generated Challan

सत्यमेवजयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय,देहरादून /
Regional Office, Dehradun

सुभाष रोड, देहरादून-248001/25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ईमेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 22 / 2023 / एफ.सी. / 1055 दिनांक: 16 / 11 / 2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिऊली–गुजराड़ा मोटर मार्ग लम्बाई 4.500 किमी हेतु 3.255 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(Online Proposal no. FP/UK/ROAD/155324/2022)**

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या 2004/FP/UK/ ROAD/155324/2022 दिनांक 20.02.2023

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन, के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 01.09.2023 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार **जनपद– टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिऊली–गुजराड़ा मोटर मार्ग लम्बाई 4.500 किमी हेतु 3.255 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती हैः

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**
   क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.510 सिविल सोयम भूमि ग्राम दिऊली खसरा सं0 1667 एवं 1861 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा **प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।**

LiFE Lifestyle for Environment

ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ.सी.ए., 1980 की guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ।

4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

5. **शुद्ध वर्तमान मूल्य**

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **3.255** हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार **201 वृक्षों एवं 54 saplings** से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

7. गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश मे उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।

8. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

9. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

10. **नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।**

11. **वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेगें।**

12. **नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।**

2/3 contd..

13. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।
14. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
15. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
17. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
18. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
19. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
20. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
21. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
22. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
23. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
24. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
25. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

This bears the approval of competent authority.

भवदीय,

(डा0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(डा0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

शर्त संख्या–1

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्रफल आरक्षित वन क्षेत्र नहीं है इस हेतु सिविल सोयम भूमि प्रस्तावित की गयी है।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

कार्यालय सहायक अभियन्ता,

शर्त संख्या–2

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु स्वीकृत समरेखण पर ही किया जायेगा एवं स्वीकृत समरेखण पर ही वृक्षों का पातन भी किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

शर्त संख्या–3

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु वर्तमान तक कार्य प्रारम्भ करने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गयी है।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

शर्त संख्या–4

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप सिविल क्षेत्र का रकबा खसरा नं0 1667 में 3.824 के सापेक्ष 3.00 हे0 एवं खसरा नं0 1861 में 5.155 के सापेक्ष 3.51 हे0 इस प्रकार कुल रकबा 8.979 हे0 से सापेक्ष 6.51 हे0 वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किया गया है साथ ही यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह क्षेत्र पूर्व में किसी अन्य योजना में अथवा वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

शर्त संख्या–01

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

शर्त संख्या–2

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप हस्तगत की जाने वाली 6.510 हे0 गैर वनभूमि को जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के आदेश संख्या 73/XXVI-92(2023-2024) दिनांक नई टिहरी, 8 जनवरी 2024 के द्वारा अभिलेखों में वन विभाग के नाम कर दिया गया है, जिसका निरीक्षण राजि0 अधिकारी/ अन्य वन विभाग के अधिकारियों को करा दिया गया है। प्रमाण–पत्र संलग्न है।

अपर सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0	सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0

शर्त संख्या– 3.(क)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप हस्तगत की जाने वाली 6.510 हे0 गैर वनभूमि में वनीकरण हेतु मूल्य रू0 2921629.00 मात्र की धनराशि CAMPA के Clint Code No. CAMP5089 में बैंकर्स चैक संख्या 247356, दिनांक 30.03.2024 के द्वारा जमा करा दिया गया है।

अपर सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0	सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0

शर्त संख्या– 3.(ख)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप हस्तगत की जाने वाली 6.510 हे0 गैर वनभूमि को जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के आदेश संख्या 73/XXVI-92(2023-2024) दिनांक नई टिहरी, 8 जनवरी 2024 के द्वारा अभिलेखों में वन विभाग के नाम कर दिया गया है, एवं हस्तान्तरित भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित एवं संरक्षित वन घोषित कर दिया गया है।

अपर सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0	सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0

शर्त संख्या–04

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप हस्तगत की जाने वाली 6.510 हे0 गैर वनभूमि में प्रतिपूरक वनीकरण एवं वनीकरण को दस वर्षों तक अनुरक्षित किये जाने वाली धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वहन की जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0	सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0

शर्त संख्या–05.(क)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन हेतु एन0पी0वी0 की धनराशि मूल्य रू0 3271959.00 मात्र CAMPA के Clint Code No. CAMP5089 में बैंकर्स चैक संख्या 247356, दिनांक 30.03.2024 के द्वारा जमा करा दिया गया है।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

शर्त संख्या–05.(ख)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन के उपरान्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद बढ़ी हो तो उसका वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0	सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0

शर्त संख्या–06

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप प्रभावित होने वाले न्यूनतम वृक्षों की संख्या 201 वृक्ष एवं 54 Sapling से अधिक नहीं होगी। वृक्षों के कटान/पातन राज्य वन विभाग के पर्यवेक्षण में कटेंगें एवं कटान/पातन की लागत वन विभाग के पक्ष में जमा की जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

शर्त संख्या–07

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ किये जाने की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई गतिविधि नहीं की जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

शर्त संख्या–08

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य धनराशि क्षतिपूरक कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में ई0पोर्टल के माध्यम से ही जमा की गयी है।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

शर्त संख्या–09

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0	सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0

शर्त संख्या–13

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त कर लिया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

शर्त संख्या–14

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन की गयी वनभूमि के समरेखण को केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना संशोधित अथवा बदला नहीं जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

शर्त संख्या–15

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित की गयी वनभूमि पर निर्माण के दौरान आस–पास के वन क्षेत्र में मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार के श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किये जायेगें।

अपर सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0	सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0

शर्त संख्या–16

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित की गयी वनभूमि पर निर्माण के दौरान कार्यस्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्य वनविभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकडी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुंचे।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

शर्त संख्या–17

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित की गयी वनभूमि का चार फिट उंचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर फारवर्ड एवं बैक बियरिंग अंकित किया जायेगा। यह कार्य राज्य वनविभाग द्वारा किया जाना है एवं कार्य पर होने वाला व्यय लोक निर्माण विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0	सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0

शर्त संख्या–18

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत, दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित की गयी वनभूमि पर निर्माण कार्य के दौरान निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वनक्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

शर्त संख्या–19

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित की गयी है। वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन में नहीं किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

शर्त संख्या–20

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित की गयी वनभूमि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य ऐजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

शर्त संख्या–21

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित की गयी वनभूमि में निर्माण कार्य के दौरान किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश की फाईल संख्या–11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2016 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0	सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0

शर्त संख्या–22

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित की गयी वनभूमि में निर्माण कार्य के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण एवं विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी जो लोक निर्माण विभाग को मान्य होंगी।

अपर सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0	सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0

शर्त संख्या–23

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित की गयी वनभूमि में निर्माण कार्य के दौरान पूर्व निर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जायेगा कि अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे तथा वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर उपयुक्त प्रजाति के वृक्ष लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवार बनायी जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों के कटाई की अनुमति नहीं होगी।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

शर्त संख्या–24

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित की गयी वनभूमि में निर्माण कार्य के दौरान यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी होगी।

अपर सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0	सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टि0ग0

शर्त संख्या–25

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित की गयी वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर भी अपलोड गयी है।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

CONST. DIVISION, P.W.D., NARENDRA NAGAR

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector **Tehri Garhwal**

No--- 487/XXVI-ACC II (2021-2022) Dated--15-7-2022

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.255** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer Construction Division, P.W.D. Narendra Nagar** (name of user agency) for **Construction of Diuali to Gujrara Motor Road** (purpose for diversion of forest land) in**Tehri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Duali and Gujrara** village (s) in **Narendra Nagar** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.255 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **(I)** to annexure **(IX)** the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(b) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: **As above.**

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

P.W.D., NARENDRA NAGAR

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector

No. 497/XXVI-ALC-n (2021-22) Dated: 13/7/2022

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **3.255** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer Construction Division, P.W.D. Narendra Nagar** (name of user agency) for **Construction of Diuali To Gujrara Motor Road** purpose for diversion of forest land) in **Tehri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Diuali & Gujrara** village (s) in **Narendra Nagar** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.255** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ... annexure ....

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of Diuali & Gujrara villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure......

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: As above.

Signature

(Full name and designation of District Collector)

जिलाधिकारी

टिहरी गढ़वाल

Encl.-01

It is further certified that - Minutes of meeting of Constructi to Gujrara Motor Road, Length 4.500Km. regarding FRA is a

Sl.No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.255 hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Shabha(s), Sub-Disivion Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (I) to annexure (VIII)	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA hav been completed and the Gram Sabha have given their consent it.	Yes copy records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढ़वाल

दयाल सिंह सवत
सदस्य जिला पचायत
43. भैतंण (नरेन्द्र नगर)
जिला-टिहरी गढवाल

समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी गढ़वाल
प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

Signature
(Full name and official seal of the District collector)

प्रारूप- 30 1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT TEHRI GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Tehri** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. **Eva Ashish Srivastava** I.A.S deputy commissioner **Tehri Garhwal** on dated ..... at time .....at **Tehri** in which application claiming rights in **Tehri** area measuring **3.255** hect for the construction of **Diuali to Gujrara Motor Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Narendra Nagar** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;.....

Dated:.....

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

DIVISION, P.W.D., NARENDRA NAGAR
E-mail.-eepwdnarendra...

प्रारूप–30.2

परियोजना का नाम– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिऊली – गुजराडा मोटर मार्ग के अवशेष लम्बाई में निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

पत्रांक–

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर।

दिनांक– 23/04/22

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, नरेन्द्रनगर।

उपखण्ड नरेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिऊली – गुजराडा मोअर मार्ग लम्बाई 4.600 कि0मी0 मोटर में निर्माण कार्य हेतु (3.256 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 3.256 है0 वन भूमि) का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नरेन्द्रनगर) की दिनांक 23/4/22 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक युक्ता मिश्र, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–देवेन्द्र सिंह नेगी उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर	–अध्यक्ष
2–श्री एम0एस0 बिष्ट उप प्रभागीय वनाधिकारी देवप्रयाग	–सदस्य
3–श्री राहुल प्रताप सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी नरेन्द्रनगर	–सदस्य / सचिव
4–श्री अनिल भट्ट बी0डी0सी0 क्षेत्र गंगलसी	–सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया **जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिऊली – गुजराडा मोअर मार्ग लम्बाई 4.500 कि0मी0 मोटर में निर्माण कार्य हेतु 3.255 है0** वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर (मुनिकीरेती) द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नरेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण–कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0–58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य, परियोजना के निर्माण हेतु 1.225 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर. (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–नरेन्द्रनगर,जनपद टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– नरेन्द्रनगर,जनपद टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, नरेन्द्रनगर।

आज दिनांक 23/04/22 को जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिऊली – गुजराडा मोटर मार्ग लम्बाई 4.500 कि0मी0 हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव कार्य हेतु 3.255 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध मे वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उप जिलाधिकारी **नरेन्द्रनगर** की अध्यक्षता मे हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:–

कम सं0	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	**देवेन्द्र सिंह नेंगी**	उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर	
2	**श्री एम0एस0 बिष्ट**	उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर मुनिकीरेती	उप प्रभागीय वनाधिकारी (नरेन्द्रनगर) नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
3	**श्री राहुल प्रताप सिंह**	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	
4	**श्री अनिल भट्ट**	क्षेत्र पंचायत सदस्य दिउली	क्षेत्र पंचायत सदस्य कोडारना वि0 ख0- नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल

E-mail .....

प्रपत्र–30.3

परियोजना का नाम– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत आगराखाल–कुन्जापुरी मोटर मार्ग का दिऊली से गुजराड़ा मोटर मार्ग की अवशेष लम्बाई में निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम – दिऊली
तहसील नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिऊली–गुजराड़ा मोटर मार्ग के **अवशेष लम्बाई में निर्माण कार्य हेतु** (3.255 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल सोयम भूमि हे0, वन पंचायत भूमि 0.00 हे0) अर्थात कुल 3.255 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दिऊली द्वारा दिनांक 23.04.2022 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **ग्राम पंचायत दिऊली** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत
ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

सेवामे

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नरेन्द्रनगर।

विषय– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराडा मोटर मार्ग के अवशेष लम्बाई में निर्माणस कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

महोदय,

हम समस्त ग्रामवासी इस बात से सहमत है कि दिऊली–गुजराडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर के द्वारा जों सर्वे कार्य किया गया है, उस पर मार्ग निर्माण हेतु हम अपनी नाप भूमि राजकीय दरों पर विभाग को देने के लिय तैयार हैं।

अतः अनुरोध है कि उक्त मार्ग का निर्माण जनहित मे यथा शीघ्र किया जाय।

(1) किशन सिंह
(2) गोविन्द सिंह
H.S. Bhandari
धर्म सिंह

ह0/
समस्त ग्राम वासी

प्रारुप–30.4

दिनांक 16-12-20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत– दिऊली/खर्की

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2	3
1	गैरेन्द्र सिंह	V.S. Bhandari
1	नरेश सिलस्वाल	Naresh
2	रामचन्द्र सिंह	[illegible]
3	रामचन्द्र चौधरी	Dayhand
4	बृजेश कण्डारी	B.S. [illegible]
5	मातवर सिंह	matvar singh
6	जगत सिंह	J.S. Bhandari
7	प्यार सिंह	Pyar S.
8	नरेश सिंह	नरेश सिंह
9	रणवीर सिंह	रणवीर सिंह
10	धनवीर सिंह भण्डारी	[illegible]

जिला पंचायत सदस्य

दयाल सिंह रावत
सदस्य जिला पंचायत
43 ... नरेन्द्र नगर
टिहरी गढ़वाल

क्षेत्र पंचायत सदस्य

क्षेत्र पंचायत सदस्य
कौडारना
वि० ख०–नरेन्द्रनगर
जिला टिहरी गढ़वाल

प्रधान ग्राम पंचायत खर्की
ह०
दि०
ग्राम प्रधान
क्षेत्र पंचायत, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिउली गुजराडा मोटर मार्ग के समरेखण के आस–पास हम बन गुर्जर न तो पहले कभी निवास करते थे और न ही वर्तमान समय में वहां पर हमारा कोई वन गुर्जर परिवार निवास करता है, दिउली गुजराडा मोटर मार्ग बनने से हम वन गुर्जरों का किसी भी प्रकार का हक प्रभावित नही होता है हमें उक्त मोटर मार्ग निर्माण से कोई आपत्ति नही है।

अतः हम सभी गुर्जर परिवार उक्त मोटर मार्ग को जनहित में शीघ्र बनाने हेतु अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

नाम –

1. मुहम्मद रफी – ह० मौ० रफी
2. ताहीर – लीयाकत अली
3. नूर हसन – नूर हसन
4. गुलाम रसूल
5. मेक बीबी

रमजानो – ह० अंगूठा निशान

दयाल सिंह रावत
स०जि०पंचायत / उ०जि०नियोजन
43 मैतण वार्ड, नरेन्द्रनगर

मौ० रफी
सचिव
ग्राम वनाधिकार समिति
[illegible]

Sean
Sonu
23/04/22

से
क
त
ो
े
3

प्रस्ताव सत्य प्रतिलिपि

दिनांक 16-12-2021 को ग्राम पंचायत रवकी की खुली बैठक के प्रस्ताव संख्या -16 की सत्य प्रतिलिपि :-

प्रस्ताव संख्या -16 लोक निर्माण विभाग :- बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया है कि वर्ष 2005 में स्वीकृत पियुली गुजराडा मोटर मार्ग का निर्माण जो समरेखण हुआ है। उस मोटर मार्ग का निर्माण कराने हेतु प्रस्ताव हवनिमद से सर्वसहमति से पारित।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम. रवकी.........
वि०ख० नरेन्द्रनगर टि०ग०।

संयुक्त निरीक्षण टिप्पणी

जनपद टिहरी गढ़वाल की विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत दिवली से गुजराड़ा मोटर मार्ग निर्माण हेतु सैध्दान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/22/2023/एफ0सी0/1055 दिनांक 16/11/2023 द्वारा प्राप्त है। उक्त सैध्दान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में दोगुनी सिविल सोयम भूमि वन विभाग को हस्तान्तरण करने हेतु ग्राम दिवली की सिविल सोयम भूमि उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर के कार्यालय ज्ञाप संख्या 112/आर0ए0–2023(विविध) दिनांक नरेन्द्रनगर नवम्बर 30, 2023 प्रति–प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग मुनिकिरेती को सम्बोधित के कम में आज दिनांक 05.12.2023 को राजस्व उपनिरीक्षक दिवली, वन विभाग के कर्मचारियों के साथ स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया। प्रस्तावित भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी, संयुक्त निरीक्षण निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहै।

हिमानन्द भटट
अमीन
नि0ख0 लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर।

गजेन्द्र सिंह (मेट)
नि0ख0 लो0नि0वि0नरेन्द्रनगर।

संजय कठैत
कनिष्ठ अभियन्ता
नि0ख0 लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर।

विनोद रावत
राजस्व उपनिरीक्षक (दिवली)

यशवन्त सिंह चौहान
वन दरोगा

C.S.
Assistant Engineer
Construction Division PWD
Narendra Nagar, T.G.

वन क्षेत्राधिकारी
नरेन्द्रनगर राजि
नरेन्द्रनगर (टि0ग0)

ग्राम दिवली
पटटी धमान्दस्यू
तहसील नरेन्द्रनगर
जनपद टिहरी गढ़वाल।

कार्य का नामः– दिवली–गुजराड़ा मोटर मार्ग निर्माण हेतु वृक्षारोपण कार्य के लिये वन विभाग को दोगुनी सिविल भूमि/सोयम भूमि की आवश्यकता।

खाता संख्या	नाम भूमिधरी	खसरा नम्बर	कुल रक्वा	अर्जित रक्वा	टिप्पणी
08	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग–9 3 डं0	1667	3.824	3.00	उक्त खसरा नम्बरान वृक्षारोपण कार्य हेतु उपयुक्त पाये गये।
	–तदैव–	1861	5.155	3.51	
	योगः–	03 नं0	8.979	6.510	

J.E

(अमीन)
नि0ख0लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर

राजस्व उपनिरीक्षक
दिवली
तहसील–नरेन्द्रनगर

तहसीलदार
नरेन्द्रनगर

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

यशवन्त सिंह
प्रभारी अधिकारी ...क0सभोली...
...नरेन्द्रनगर...

वन क्षेत्राधिकारी
नरेन्द्रनगर रेंज
नरेन्द्रनगर (टि0ग0)

मूलेख प्रपत्र सं0 प–11

मौजा डिउली पट्टी धनपुर तहसील ...

	श्रेणी 9 (3) 5 कृषि योग्य बंजर भूमि			
2	उत्तराखण्ड सरकार	हाल	1651	0.940
	वर्ग 9 (3) 5:	बदो-	1658	0.060
	बंजर ×	बस्त	1665	0.252
		से	1669	3.220
			1680	0.014
			1684	0.003
			1708	0.094
			1722	0.005
			1834	0.103
			1840	0.541
			1844	0.065
			1861	5.155
			1864	0.940
		योग	537	23.441

अमल दरामद

ह० उ० नि० डिउली नरेन्द्र ...

तहसील

दि० ...

... दिये गये दिशा निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार ...

भूलेख प्रपत्र सं० प–11

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
											1076	0.1550हे			
8	उत्तराखण्ड सरकार	हाल	4	0.0610हे					श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल के आदेश		1883	0.0090हे			
	वर्ग 9(3) उ० बंजर	बन्दोबस्ती	6	0.0150हे					संख्या 73/XXVV-02(2023-24) दिनांक नई टिहरी 08,						
	भूमि	सें०							जनवरी, 2024 के उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड़ भूमि						
									के खसरा नं० 167 क्षे० रकबा 3.000 हे०, खसरा 1861		3854	0.1890हे			
			1586	0.3010हे					क्षे० रकबा 3.510 हे० भूमि कुल रकबा 6.5100 हे० भूमि		3860	0.0390हे			
			1590	0.4760हे					को विकास खण्ड नरेन्द्रनगर में राज्य योजना अन्तर्गत दिउली		3863	0.4460हे			
									गुजराड़ी मोटर मार्ग लम्बाई 4.500 कि०मी० हेतु 3.255 हे०		3864	0.1250हे			
									वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यों के दृष्टिगत प्रत्यावर्तन के		3866	0.0100हे			
			1649	0.4490हे					फलस्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल सोयम		3868	0.0810हे			
			1657	0.1490हे					भूमि का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किये जाने		3876	0.1600हे			
			1658	0.0600हे					का आदेश है।		3889	0.5640हे			
			1665	0.2520हे					वर्ग 9(3) उ० सम्पूर्ण योग =		537	83.4410हे			
			1667	3.8240हे											
			1680	0.0140हे											
			1834	0.0030हे											
			1840	0.5410हे											
			1844	0.0650हे											
			1861	5.1550हे											
			1864	0.9400हे											
			1874	0.1250हे											

09/12/2024
रा०उ०नि० दिउली

रा० उप नि० क्षेत्र
दिउली
तहसील – नरेन्द्रनगर
जिला – टि० ग०